

## Legal awareness crucial for teachers & students: SP

Dainik Jagran | February 19, 2017

Shivpuri: Basic legal knowledge is necessary for everyone. "Spreading legal literacy among teachers and school students and making them aware of their legal rights is not only an exemplary effort in today's time, but possessing this knowledge is an indispensable need in the 21<sup>st</sup> century." This noteworthy fact was highlighted by the Superintendent of Police (SP), Shivpuri, Sh Sunil Kumar Pandey, during his address to the students of classes 10 and 12, who participated in the "i-torney legal literacy workshop," organized by the India Institute (II) in collaboration with the Bal Shiksha Niketan (BSN), Shivpuri.

The District Women and Child Empowerment Officer, Sh O P Pandey, and the District Coordinator of the National Human Rights Commission (NHRC), Sh Alok M Indoria, were other distinguished guests present at the workshop.

In his talk, Sh Indoria encouraged the students to share the legal knowledge imparted during the workshop with their friends and peers so that they too can be familiar with their legal rights. Assuring the Director of II, Mr Baladevan Rangaraju, he said that in the near future, he will collaborate with the organization to conduct a legal literacy drive among students of the tehsils and towns.

On the first day (Feb 17, 2017) of the two-days' workshop, Rangaraju conducted an enriching and thought-provoking session for the Directors and teachers of Shivpuri, where he imparted training in laws related to children's rights in a compelling manner. In the second half on February 18, 2017 (Saturday), he addressed a total of 100 students of classes 10 and 12 from various schools.

Rangaraju, winner of international awards- The Global Templeton and the Think Tank Shark Tank, is one of the finest trainers in the field of law and has noteworthy experience in training the staff of many National Law Universities in the country.

After successful completion of the i-torney legal literacy workshop, students were rewarded with certificates of participation.

\*This article has been translated from Hindi to English.

# शिक्षकों और बच्चों को कानून का ज्ञान अनुकरणीय प्रयास : एसपी

## दो दिवसीय विधि जागरूकता शिविर सम्पन्न

शिवपुरी ब्यूरो

कानून का ज्ञान हरेक व्यक्ति को आवश्यक है लेकिन आज शिक्षकों और खासकर स्कूली छात्रों को कानून की जानकारी देना और कानून के प्रति उनको जागरूक करना ना केवल अनुकरणीय प्रयास है बल्कि 21वीं सदी के इस युग में विधि संबंधी जानकारी होना आज की बड़ी आवश्यकता भी है उक्त उद्गार प्रकट किए पुलिस अधीक्षक शिवपुरी सुनील कुमार पाण्डे ने इंडिया इंस्टीट्यूट द्वारा बाल शिक्षा निकेतन स्कूल के सभागार में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अपना उद्बोधन दे रहे थे।

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महिला सशक्तिकरण अधिकारी ओ.पी.पाण्डे एवं मानव अधिकार आयोग के जिला संयोजक आलोक एम.इन्दौरिया तथा हैम्पीडेज स्कूल की संचालिका श्रीमती गीता दीवान थीं। इस अवसर पर अपने संबोधन में एसपी श्री पाण्डे ने कहा कि छात्र यदि इस उम्र से कानून की मौलिक जानकारी रखेगा तो वह सही और गलत की पहचान तो कर ही सकेगा साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सकेगा और



आवश्यकता पड़ने पर मदद भी दे सकेगा। उन्होंने अपने प्रेरक उद्बोधन में छोटी-छोटी बातों और कहानियों के माध्यम से बच्चों को अच्छे और बुरे के बीच पहचान बताई। कार्यशाला में मानव अधिकार आयोग के जिला संयोजक आलोक एम.इन्दौरिया ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए विद्यालय संचालिका श्रीमती बिन्दु छिब्र की सराहना की और बच्चों से कहा कि उन्होंने इस कार्यशाला में जो सीखा है उसे अपने साथी छात्र-छात्राओं के साथ अनुभव को बाँटें ताकि वह भी विधि कानून के बारे में जागरूक हों। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के डायरेक्टर बालदेवन रंगराजू को विश्वास दिलाया कि निकट भविष्य में वे उनके साथ तहसील और कस्बों में छात्र-छात्राओं को कानून के प्रति जागरूक

करने के कार्यक्रम उनके साथ बनाएँगे। महिला सशक्तिकरण अधिकारी ओपी पाण्डे ने भी छात्रों से संबंधित पांच प्रमुख कानूनों पर प्रकाश डाला और इस अच्छे आयोजन के लिए आयोजक बिन्दु छिब्र को साधुवाद दिया। शिवपुरी जिले में पहली बार शिक्षक और छात्रों के लिए विधि संबंधी जानकारी रोचक तरीके से देने का कार्यक्रम श्रीमती बिन्दु छिब्र के द्वारा इंडिया इंस्टीट्यूट से मिलकर आयोजित करने का काम किया है।

विगत दो दिनों से चल रही इंडिया इंस्टीट्यूट की इस विधि कार्यशाला में प्रथम दिन श्री रंगराजू ने विभिन्न स्कूलों के शिक्षक एवं डायरेक्टरों को बच्चों से संबंधित कानूनों का शानदार तरीके से प्रशिक्षण दिया और आज द्वितीय सत्र में विभिन्न स्कूलों के

10वीं एवं 12वीं के एक सैकड़ छात्रों को श्रीरंगराजू ने विधि के बारे में प्रशिक्षण दिया। श्री रंगराजू कानून के क्षेत्र में देश के बेहतरीन प्रशिक्षक हैं और कई नेशनल लॉ इंस्टीट्यूटों में वह वहां के स्टाफ को प्रशिक्षित कर चुके हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना केवल उन्होंने पुरस्कार जीते हैं बल्कि उनका बहुत नाम भी है। उन्होंने कानून जैसे गूढ़ विषय को कहानियों के माध्यम से बच्चों को बच्चों के विभिन्न अधिकारों से परिचय कराया। बताना मुनासिब होगा कि श्री रंगराजू की छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से भी कानून संबंधी जानकारियां एफएम 91.9 पर नीति एक्सप्रेस के द्वारा दी जाती है जो बहुत ही चर्चित है ऐसे में वह स्वयं भी हैरत में पड़ गए जब शिवपुरी के स्कूली छात्रों ने यह साबित कर दिया कि कानून के बारे में थोड़ी ही सही मगर जानकारी उन्हें भी है। उन्होंने इस कार्यशाला के तत्काल बाद बच्चों पर इसका क्या रिएक्शन हुआ यह भी बच्चों के द्वारा प्रस्तुत छोटे-छोटे नाटक, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से देखा और पाया कि गुणवत्ता में शिवपुरी के बच्चे महानगरों के बच्चों से कम नहीं हैं। इस कार्यक्रम के उपरांत प्रशिक्षण लेने वाले सभी बच्चों को प्रमाण पत्रों के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर हैम्पीडेज स्कूल के प्राचार्य पद्मेश थापरियाल, गणेश ब्लेस्ड स्कूल के डायरेक्टर राम गुप्ता, गुरुनानक स्कूल के डायरेक्टर महिपाल अरोरा सहित बाल शिक्षा निकेतन स्कूल की प्राचार्य श्रीमती सक्सेना सहित अन्य स्कूली स्टाफ व बच्चे मौजूद थे।